न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40/2017 (उदयपुर डिकी)

लीलाधर पिता स्वर्गीय श्री सालगराम जी माली, निवासी साण्डेश्वर महादेव, आयड़, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. नितिन कुमार पिता श्री घनश्याम नागाची, निवासी सिंघटवाडियों की सेहरी, उदयपुर (राज.)
2. हेमराज पिता मोड़ा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. रमेशचन्द पिता श्री उदयलाल श्रीमाली, निवासी टेकरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 09.08.2016, प्र.सं. 254/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री भीमराज पटेल अभिभाषक रे.सं. 1
3. श्री लोकेश मेनारिया अभिभाषक रे.सं. 2
4. श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक रे.सं. 3
5. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

22–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आयड़ की आराजीयात जो वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ठ ''क'' की कुल आराजियात 4 रकबा 0.1850 हैक्टर में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 4/20 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/20 हिस्सा ह। इसी प्रकार परिशिष्ठ ''ख'' की आराजी नंबर 1227 में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 4/20 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/20 हिस्सा है तथा पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स भूमियों का विभाजन कराया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाड़ा किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ने उसके कब्जे की भूमि उसके हिस्से में रखते हुए विभाजन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका जवाब बन्द किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 09–08–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर बंटवाड़े की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–05–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भीमराज पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री लोकेश मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक

पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ कुछ रसीदे प्रस्तुत की गयी हैं, जो मात्र फोटो प्रतियां हैं, किन्तु वह अपीलान्ट के बीमारी से संबंधित पर्चियां होने से न्यायहित में आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वृद्ध काश्तकार होकर हार्निया से ग्रसित है, जिससे वह समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अधिनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. व साक्ष्य अधिनियम के विपरीत निर्णय पारित किया है, जिसकी कोई मयाद नहीं होती। अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया। उक्त आवेदन के किसी प्रकार के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ अपीलान्ट के बीमार होने की रसीदें प्रस्तुत की गयी हैं। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित कराये हैं, फिर भी अपीलान्ट न्यायालय ने वाद डिक्री कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि दिनांक 28–07–2016 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 09–08–2016 नियत की गयी, किन्तु बिना जवाब लिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर वाद डिक्री कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–08–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलान्ट का जवाबदावा लेकर तथा उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–09–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

लालु पिता स्वर्गीय देवा जी भील, निवासी कात्याफला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

प्रभू पिता स्वर्गीय लखिया जी भील, निवासी कात्याफला, अलसीगढ़, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....37 / 2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....25.....माह.....01..... 2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....28....माह.....06.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री अजयसिंह हाड़ा.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री चन्द्रशेखर आमेटा

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–01–2017 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....28.....माह.....06... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।